

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 322 /वि.स./2023

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/03/2023

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विषय- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1517 अतारांकित द्वारा श्री शैलेश पांडे, सदस्य विधानसभा ।

कृपया विभाग से प्राप्त प्रश्न क्रमांक 1517 अतारांकित निम्नानुसार है :-

गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? क्या गरीबी रेखा राशन कार्ड के लिए श्रमिक कार्ड आवश्यक है? जिला बिलासपुर अंतर्गत कितने ऐसे गरीबी रेखा राशन कार्ड हैं, जो श्रमिक कार्ड के बिना बनाए गए हैं?

कृपया उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर पूरक जानकारी सहित 10.03.2023 तक ई-मेल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। उत्तर के परिशिष्ट एक-पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई-मेल (directoratooffood@gmail.com) के माध्यम से परिशिष्टों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। विधानसभा से प्राप्त प्रश्न का उत्तर परिशिष्ट सहित "यूनिकोड फॉन्ट" में टाइप कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

पृ.क्रमांक 323 /वि.स./2023

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/03/2023

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर ।
2. खाद्य नियंत्रक, जिला - बिलासपुर, छत्तीसगढ़।


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.